

SC 12
28/1/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. _____ of 2013

Sita KumariPetitioner.

Versus

The State of Bihar and OthersRespondents.

**Subject: - Anganwari Sevikas matter
Termination Matter (Non-regularised)**

I N D E X

SL. No.	Particulars	pages
1.	An application Under Article 226 of the Constitution of India.	01-19
2.	<u>Annexure- 1.</u> Photostat copies of the direction, nomination, training and section letters.	20-24
3.	<u>Annexure- 2.</u> A photostat copy of the letter dated 03.08.2010 issued by C.D.P.O.Chousa.	25
4.	<u>Annexure- 3.</u> A photostat copy of the order dated 07.08.2010.	26-30
5.	<u>Annexure- 4.</u> A photostat copy of the representation dated 14.6.2013.	31-34
6.	Vakalatnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. _____ of 2013

Sita Kumari**Petitioner.**

Versus

The State of Bihar and Others**Respondents.**

S Y N O P S I S

Reliefs Prayed for:-

That this is an application for issuance of a writ in the nature of certiorari for directing the respondent authorities for setting aside the order dated 07.08.2010 passed by Commissioner, Koshi Division, Saharsa whereby and where under Letter No.113 dated 16.06.2007 has been cancelled without following the law and procedure.

Relevant Dates and Events

03.08.2010	<u>Annexure- 2.</u> A photostat copy of the letter dated 03.08.2010.
------------	---

07.08.2010	<u>Annexure- 3.</u> A photostat copy of the order dated 07.08.2010.
14.06.2013	<u>Annexure- 4.</u> A photostat copy of the representation dated 14.6.2013.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. _____ of 2013

In the matter of an
application Under
Article 226 of the
Constitution of India.

And

In the matter of;

Sita Kumari, Wife of Shivnandan Sah, Resident
of Village- Phulout, Police Station- Chousa,
District- Madhepura.

..Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar, through the Chief
Secretary, Old Secretariate, Bihar, Patna.

2. The Director, Department of Social Welfare, (I.C.D.S.) Old Secretariate, Patna.
3. The Commissioner, Koshi Division, Saharsa.
4. The District Magistrate, Madhepura.
5. The District Programme Officer, Madhepura.
6. The Child Development Project Officer, Chousa, Madhepura.
7. The Mukhiya, Gram Panchayat Phulout West, P.S. and Block-Chousa, District-Madhepura.
8. The Panchayat Secretary Gram Panchayat Phulout West, P.S. and Block-Chousa, District-Madhepura.

.. Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her

Companion Justices of the said Hon'ble
Court.

The humble petition on
behalf of the above
named petitioner;

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That this is an application for:-

- (A) For issuance of a writ in the nature of certiorari for directing the respondent authorities for setting aside the order dated 07.08.2010 passed by Commissioner, Koshi Division, Saharsa whereby and where under Letter No.113 dated 16.06.2007 has been cancelled without following the law and procedure.
- (B) Any other writ or writs for granting any other relief or reliefs for which the petitioner is found entitled.

2. That, the main points of law involved in the present writ petition as hereunder:-

(i) Whether the impugned order is illegal, improper, unjust, arbitrary, contrary to materials available on record as also against the provision of law or not?

(ii) Whether the respondent Commissioner can be permitted to removed the Anganwari Sevika from her post on which she has been working satisfactorily since the last several years.

(iii) Whether the impugned action is now threatening petitioner's fundamental as well as other rights and liable to cause permanent injury in terms of less of salary and seniority hence impermissible in law?

(iv) Whether the petitioner was appointed on the post of Anganwari

Sevika in accordance with the terms given under Anganwari Sevika/ Sahayika Employment Margdarshika issued by Govt. of Bihar and as such there is no irregularity/discrepancy with regard to her appointment and she had been working on the said post for the satisfaction of all concerned?

(v) Whether the letter dated 16.06.2007 (vide letter no.113) issued by C.D.P.O. in the light of District Level redressal Camp order dated 12.06.2007 is valid and genuine and same was cancelled by the respondent Commissioner on 07.08.2010 is without jurisdiction and same is fit to be quashed?

(vi) Whether the act of the respondent authorities is an attempt to

frustrate the objet of I.C.D.S. as also to frustrate the object of educating the children.

(vii) Whether that the action of the respondents shows colourable exercise of power as well as non application of mind?

3. That, petitioner is citizen of India and as such is entitled to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That it is stated that a general advertisement was published for appointment of different Anganwari Sevika in the Gram Panchayat, Fulout West in the month of April, 2007.
5. That the petitioner in view of such advertisement applied against the post of Anganwari Sevika for the Centre, namely Pandahi Basa, Fulout West (hereinafter referred to as the Centre), situated in

the Gram Panchayat Fulout West in the district of Madhepura.

6. That it is further stated that on 13.04.2007 General Body meeting of the Fulout Gram Panchayat West convened under the Chairmanship of the Mukhiya of the aforesaid Gram Panchayat that seven members of the committee have been appeared in the said General Body Meeting and discussed the rules and regarding made by the State Government in regard to appointment of Anganwari Sevika. It is further stated that at proposal no.2, it was mentioned that though the aforesaid centre was meant for appointment of a candidate of Backward class, but as no candidate of the backward class save and except this petitioner participated in the selection process and the petitioner was the only aspirant, therefore, the

Gram Sabha has clearly stated that the petitioner is only applicant against the post of Anganwari Sevika. But the name of the petitioner was not recommended for the appointment to the said post, illegally name of Jayshree was recommended, she does not belong to backward category

7. That it is relevant to state here that after proceeding of General Body Meeting held on 13.04.2007 and said Jay Shree was illegally selected without following the term and condition of said general body meeting.
8. That nomination letter was issued to Jayshree in Anganwari Centre no.17 which is in question, whereas petitioner has been selected on the post of Anganwari Sevika in Pandahi Basa Anganwari Centre No.III.

9. That in collusion of respondent Mukhiya and Panchayat Secretary, respondent Jayshree was illegally and wrongly selected and petitioner was deprived from the selection process only due to village party politics. Therefore, matter was represented on 12.06.2007 before District Magistrate, Madhepura in the District Level grievance redressal camp by the petitioner. The D.M. Madhepura verified and investigated the matter and directed to authorities concerned i.e. Mukhiya, Panchayat Secretary and C.D.P.O. Chousa to take legal action against the respondent Jayshree and selection letter may be issued to the petitioner because who has fulfilled all the required qualification for selecting the said posts of Anganwari Sevika. That petitioner has already appeared in Aam Sabha of Pandahi Basa Anganwari Centre

and who has submitted her application being a candidate of backward class and who has got higher qualification as comparison with respondent Jayshree. Therefore, she has been selected and thereafter she has been sent to training and after that she has been discharging her duty till today for the satisfaction of all concerned.

Photostat copies of the direction, nomination, training and selection letters are being annexed herewith and marked as Annexure- 1 of the writ application.

10. That, it is specifically stated that said post of Anganwari Sevika at Pandahi Basa was reserved for backward class,

where backward class is in majority and not a single family belongs to General Category in said Posak Area. Thereafter, Mukhiya and Panchayt Secretary, Gram Panchayat Phulout (West) have wrongly selected the candidates of General category namely Jay shree i.e petitioner. So in the aforesaid facts and circumstances, the petitioner has been selected legally and properly. Petitioner undertakes to produce the relevant mapping register of the Anganwari Centre in question at the time of hearing, if required so.

11. That in the aforesaid facts and circumstances petitioner submitted application before the D.M. Madhepura in redressal camp as regarding the illegal selection of this petitioner. Thereafter matter was enquired and verified and it

was directed to concerned respondent authority to select the petitioner at the place of respondent Jay Shree. That petitioner has got high weightage point and qualification and possessed all the required criteria for the selection of Amnganwari Sevika.

12. That respondent Jay Shri moved before this Hon'ble Court in C.W.J.C.No.1133 of 2008 and in the light of said order, appeal (Misc. Case No.08 of 2010) has been filed before Commissioner, Koshi Division Saharsa and same was disposed of on 07.08.2010 directing therein that order may be passed by the concerned D.M. as regarding the selection of Anganbari Sevika and letter no.113 dated 16.06.2007 has been set aside without considering the facts and circumstances of the case.

13. That it is necessary to mention here that Commissioner, Koshi Division Saharsa has passed order dated 07.08.2010 without considering the facts and circumstances of the case. It is also informed the concerned Panchayat Secretary by the C.D.P.O. Chousa stating therein that all the relevant papers must be submitted on 05.08.2010 because date of hearing was fixed on 10.08.2010 before Commissioner Koshi Division, Saharsa. That it is quite clear that order has been passed before the date which has already been fixed earlier, therefore, the order may be set aside on the afore-said ground alone.

A photostat copy of
the letter dated
03.08.2010 issued by
C.D.P.O. Chousa

(Madhepura) is being annexed herewith and marked as Annexure- 2 of the writ application.

14. That it is further stated and submitted that the petitioner after her appointment has also got departmental training and is continuously working in her Anganwari Centre in question.

15. That the Appellate Court/Commissioner ignoring the materials on records and also ignoring the case of the petitioner, has favoured the private respondent.

A photostat copy of the order dated 07.8.2010 is being annexed herewith and marked as Annexure- 3

of the writ application.

16. That it is humbly submitted that the order of Commissioner is not only illegal but erroneous also.
17. That it is humbly submitted that the impugned order is illegal, improper, unjust, arbitrary, contrary to materials available on records as also against the well settled law.
18. That several representations have been submitted before the respondent authorities by this petitioner as regarding the impugned order but no coercive action has been taken as yet.
19. That despite several representations, petitioner also submitted her last representation before respondent-Director against the impugned order

through registered post on 14.06.2013 but same was not considered as yet.

A photostat copy of the representation dated 14.06.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure- 4 of the writ application.

20. That, petitioner has got no other efficacious and alternative remedy then to move before this Hon'ble Court for redressal of her genuine grievances.

21. That, petitioner his never moved earlier before this Hon'ble Court for grant of reliefs prayed for in paragraph no.1 of this case.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ

application, issue Rule NISI, calling upon the respondents to show- cause as to why the reliefs prayed in paragraph no. 1 to this petition be not allowed in favour of the petitioner and after hearing the party be pleased to allow this writ petition in terms of its para-1 and make the rule absolute.

And

During pendency of this writ petition, be further pleased to stay the operation of impugned order dated 07.08.2010 passed in Misc. Case No.8/2010.

And / Or

Pass such other appropriate
order or orders as your
Lordships may deem fit and
proper in the facts and
circumstances.

And for this the petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Sita Kumari, aged about 41 years, Wife of Shivnandan Sah, Resident of Village-Phulout, Police Station- Chousa, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the statements contained in paragraph nos. ~~7 to 8, 10, 11, 12, 14, 15 and 17~~ are true to my knowledge, those contained in paragraph nos. ~~9, 13 and 18~~ are true to my information and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true / photo copies of their respective originals.

Vide Annexure - I

पत्रांक 113 दिनांक 16.06.07
कार्यालय कालविकास मंत्रि पलायकाशी चौसा

श्रीवत्त - पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चौसा कुल्होत पर

विषय - अशितवाडी केन्द्र पंचदेही वासा पर सौतिका
पट पट चयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहता हूँ कि
सिद्ध केन्द्र पर पौष्क क्षेत्र का आवेदिका उपलब्ध
न ही तो सर्वप्रथम आदमी आवेदिका क्रममा
अपुष्कित जाति, जनजाति, अधिपुष्क, पिपुष्क
उत्पत्तिसम्बन्धक एवं शान्तात्मक वर्ग के अक्षरसँ अधिक
अंक वाली आवेदिका को सौतिका पट पट चयन
करना है। जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण के मा
दिनांक 12.06.07 को पंचदेही वासा पर श्रीमति
स्तीला कुमाारी पति श्री शिवनन्द शर्मा पिपुष्क वर्ग
की आवेदिका को चयन करके का निर्देश दिया
जाया है।

अतः आपका निर्देशित किया जाता है कि
आपति निराकरण कर अविलम्ब उपरोक्त आदमी
को आपत्ति निराकरण कक्ष निर्देशित करें कि

कालविकास मंत्रि पलायकाशी
चौसा मेरठ

31

निर्देश

39

अनुलग्नक-घ

कार्यालय
पंचायत / (वार्ड संख्या) कुलीत (पश्चिमी)
प्रखण्ड - चौसा जिला मधेपुरा

क्रमांक - 13 दिनांक 01 मधेपुरा दिनांक 12-06-2007

दिनांक - 12-06-2007

श्रीमती शीता कुमारी
पति श्री शिवराम साहू
ग्राम कुलीत पश्चिमी पो. कुलीत
थाना चौसा प्रखण्ड चौसा
जिला मधेपुरा

विषय:- प्रशिक्षण हेतु नामांकन की सूचना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 12-06-2007 को बाल विकास परियोजना 2.11 मधेपुरा क आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 111 ग्राम/टोला कुलीत हेतु सेविका /


चयन के लिए सम्बन्धित आम सभा में लिए गये निर्णय के क्रम में सूचित करना है कि :-

1. आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन के विहित आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 111 के संचालन एवं उसके सेवा क्षेत्र में कार्य करने हेतु आपके चयन पर विचार करने हेतु आपको प्रशिक्षण प्राप्ति हेतु नामित किया जाता है।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी सूचना बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा आपको अलग से भेजी जायेगी। प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा, भाग नहीं लेने पर आपका चयन रद्द कर दिया जायेगा। प्रशिक्षण की तिथि से निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. आवश्यक पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत ही आपको चयन पत्र निर्गत किया जायेगा।
4. यह पत्र सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

सदस्य सचिव का हस्ताक्षर/ नाम एवं पदनाम

मुखिया/वार्ड सदस्य/वार्ड काउंसलर का हस्ताक्षर/ नाम (मूहर के साथ)

बाल विकास परिषद का कार्यालय, चौसा (मधुपुर)



6 दिवसीय सेविका इन्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स

प्रचार-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सौ. रंजी

पति श्री शिव नरेश साहू केंद्र पुन्डी नासा, कुरुकुम 111 पर्यायत कौन प्रशिक्षण

ने दिनांक 25.06.2007 से दिनांक 30.06.2007 तक बाल विकास परियोजना

प्रदाशिकारी, चौसा, मधुपुर द्वारा 6 दिवसीय सफल इन्डक्शन प्रशिक्षण कोर्स प्राप्त किया।



बाल विकास परिषद का कार्यालय चौसा (मधुपुर)

30/6
2

क्रमांक 05/2021


कृषि विज्ञान केंद्र, मधेपुरा

मधेपुरा कृषि विज्ञान केंद्र से उत्तर (N.H.-107 से उत्तर)

ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र, मधेपुरा

संचालित : आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना (बिहार)

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती स्वीता कुमारी पति श्री शिव चंद्र झा

ग्राम कुशीन (कुशीनसरी) पो कुशीन (पुर्बिसरी) थाना शंखा विसीय

जिला मुर्शिदाबाद (बिहार) आगनवाड़ी सेविका/सहसचिका 7 (स्वात) दिसीय

प्रशिक्षण दिनांक 08.01.2021 से 28.01.2021 तक विश्वीकरण कोर्स

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया। संस्था इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

प्राचार्य सुधीर

दिनांक 05.02.2021

सचिव 02/01/21

~~Annexure-3~~

24

अंगक-3

कार्यालय

पंचायत / (वार्ड संख्या) कुलौत (पश्चिमी)

खरवस-चौला गाँव

डाप संख्या- 16

दिनांक 5.07.2007

चयन पत्र

श्रीमती सीता कुमारी पति श्री जगन्न्दन झा जो.
ग्राम कुलौत, पश्चिमी की स्थाई निवासी है, का आँगनवाड़ी
सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला कुलौत के आँगनवाड़ी केन्द्र(कोड सहित) 111 के सेवा क्षेत्र
के लिए दिनांक 12.06.2007 को आयोजित आम सभा में लिये गये निर्णय तथा परियोजना पदाधिकारी सी.डी. के
प्रतिवेदन के आलोक में आपने दिनांक 25.6.2007 तक संतोषप्रद इच्छुकान/जॉब प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आईओडीओपुरा निदेशालय द्वारा निर्धारित भाषदंडो एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषण के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

सदस्य सचिव का हस्ताक्षर / नाम
एवं पदनाम

मुखिया/वार्ड सदस्य/वार्ड काउंसलर
का हस्ताक्षर/नाम
(मूहर के साथ)

पत्रांक: - 193.

दिनांक: - 3.8.10.

पुष्ट: - बाण विकास परिशोचना पदाधिकारी चौसा (मधेपुरा)

स्नेहार्थ,

पंचायत सचिव
पंचायत कुलाट परिषद

विषय: - ओंठेहू पनफही बासा का कागजात (सभी सल. पुति) के साथ कार्यालय में नसा करने के सम्बन्ध में।


महाराज,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेख है कि ओंठेहू पनफही बासा पंचायत कुलाट परिषद, ओंठेहू सेनिडा - सीता देवी के यमन के सम्बन्धित सभी कागजात जैसे - ग्रामसभा पंजी, कारवाही पंजी, नसा आवेदन पत्र, मेधा सूची, मंजिला पंजी, यमन पत्र एवं अन्य कागजात सभी सल. पुति में कार्यालय की दिनांक 5.8.10 तक आवकप्रक रूप में नसा करने ताकि दिनांक 10.8.10 के आगुठ सहरसा प्रमण्डल, सहरसा के यहाँ होने वाले सूनबाई में कागजात की प्रस्तुत किया जा सके। प्रस्तुत नहीं होने पर सारी नबावदेही आपही सम्पत्ती गायी। अतः इसे आवकप्रक सम्कलित दिनांक 5.8.10 तक अधोहस्ताक्षरित के साथ नसा कर दें।

विश्वस भाजग

3/8/10

बाण विकास परिष पदाि.
चौसा (मधेपुरा)



प्रतिनिधि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की तिथि तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिनिधि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिनिधि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
Ex 62	25/8/2010	25/8/2010	25/8/2010	25/8/2010

25/8/2010

न्यायालय, माधुवा कोर्टा प्रमण्डल, सहरसा ।
दिनांक पाद सं- 08/2010


जय श्री

लाम

विकार सरकार एवं अन्य

आदेश

07-08-2010



आवेदक श्रीमती जय श्री पीता श्री कृष्ण कुमार तल्लु द्वारा मानवीय
रुच न्यायालय द्वारा सी. डब्लू. के. सी. सं- 1133/2008 में दिनांक-12-12-2009
को भारत आदेश के आलोक में उच्च अपील अपील तल्लु किया गया है। जिसमें
उच्च कोर्ट ने ग्राम पंचायत- फुलौत द्वारा दिनांक- 13-04-2007 में लिये गये निर्णय
का अनुपालन करने एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के फांदा-113 दिनांक
16-06-2007 में उल्लेखित जिलास्तरीय आपातत विवाद निराकरण केम्प में दिनांक
12-06-2007 को लिये गये निर्णय को रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।


दिनांक- 02-08-2010 को अर्थात् अपीलकर्ता, प्रतिवादी सं-08
श्रीमती पीता कुमारी एवं राज्य सरकार के ओर से उपस्थित जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी की सुनवाई की गई। अपीलकर्ता के विधान अधिकता द्वारा बताया
गया कि फुलौत पंचायत पंचायत में दिनांक- 13-04-2007 को आयोजित ग्राम
सभा में श्रीमती जय श्री को पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिका रूप से आंगनवाड़ी
सीका के पद के लिए चयनित किया गया। इसके उपरांत पंचायत कार्यालय के
द्वारा सं- 13/20-04-2007 दिनांक- 20-04-2007 द्वारा अर्थात् को प्रविष्ट
हेतु नामांकन की सूचना भी प्राप्त हुई। आगे उनका कहना है कि प्रासंगिक



प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
--	---	--	--	--

- 2 -

आंगनवाड़ी केन्द्र स्तारपुर वासा पन्डड़ी फ्लौत पश्चिमी के पोषक क्षेत्र में पिछड़ी जाति की बाहुल्यता है, किन्तु जाति का कोई भी ^{सुझाव} ~~आवेदन~~ नहीं रहने के कारण शौचका के पद के लिए एक मात्र आवेदनकर्ता श्रीमती जयश्री का चयन विधायक रूप से किया गया था। आवेदिका द्वारा चयन के उपरांत प्रशिक्षण में भेजे जाने के बिस अनेक आवेदन स्वीय पदाधिकारी को दिया गया किन्तु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवेदिका के विद्वान अधिकता ने आगे बताया कि कालांतर में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जिला स्तर पर दिनांक- 12-06-2007 को जिला स्तरीय आपत्त निराकरण केम्प आयोजित किया गया जिसमें ~~बिना~~ ^{बिना} इतना पद सुने श्रीमती सीता कुमारी ~~पति~~ श्री शिवानंद साह का चयन करने का निदेश दिया गया। आवेदिका ने अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि आंगनवाड़ी केन्द्र तामुदायिक विकास केन्द्र, गौठ जो फ्लौत पश्चिमी पंचायत में है में सीता कुमारी द्वारा चयन हेतु अपना आवेदन दिया गया। किन्तु योग्यता सूची में कस प्रतिशात होने के कारण इतका चयन उस केन्द्र पर नहीं हो सका। आवेदिका के विद्वान अधिकता द्वारा आपत्त प्रस्तुत की गई कि जिला स्तरीय आपत्त निराकरण केम्प जो दिनांक - 12-06-2007 को आयोजित किया गया था उसकी आवेदिका को कोई सूचना नहीं थी और ना ही उनका पद सुना गया। मात्र सीता कुमारी के आवेदन पर एक स्वीय निर्णय लिया गया। इसी के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौसा द्वारा अपने फॉर्म- 113 दिनांक - 16-06-2007 द्वारा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत- फ्लौत पश्चिमी को श्रीमती सीता कुमारी को आंगनवाड़ी शौचका के पद पर चयन करने का निदेश दिया गया जो कि अनियमित एवं अवैध है।






प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	साम्य और फोटोको की अपेक्षित संख्या सुचित करने की तिथि Date fixed for supplying the requisite number of stamps and photos.	अपेक्षित स्टाम्प और फोटोको देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and photos.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार की जाएगी Date on which the copy was ready for delivery.	अभिलेख को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.


- 3 -

प्रीतवादी सं०-०८ श्रीमति सीता कुमारी के विधान अधिकारता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र खारपुर बासा, मण्डवी, जिला पश्चिमी के पोषक क्षेत्र में पिछड़ी जाति की बाहुल्यता है। अतः श्रीमति श्री जो सामान्य वर्ग से आते हैं का चयन अनियमित एवं अवैध है। उन्होंने आगे बताया कि दिनांक 13-04-2007 को आम सभा विधिवत रूप से नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि श्रीमति सीता कुमारी आम सभा में उपस्थित थी किन्तु उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने बताया कि आम सभा की उपस्थिति सूची के क्रमांक 77 पर सीता कुमारी का नाम अंकित है जो कि उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वृत्त इन्होंने आम सभा में चयनित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो इसके विरुद्ध उन्होंने जिला स्तरीय निराकरण केम्प में जिला पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा एवं जिला पदाधिकारी द्वारा केम्प में ही मामले की जांच की गई एवं जो जो पुराने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वीसा को उन्हें चयनित करने का निर्देश दिया और इसी के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, वीसा द्वारा अपने पत्रांक-113 दिनांक 16-06-2007 द्वारा पंचायतधीन क्षेत्र को उन्हें चयनित करने का निर्देशा निर्गत किया।



आम सभा में उपस्थित के तर्क पर जापतिता करते हुए अपीलकर्ता के विधान अधिकारता के बताया कि उपस्थिति सूची में छेड - छेड़ कर श्रीमति सीता कुमारी का नामालत तरीके से, क्रमांक-77 पर जोड़ा गया है क्योंकि सूची के अगली पृष्ठ पर क्रमांक 77 पुनः अंकित है और उस पर श्री राजेश कुमार सिंह का नाम एवं इस्ताइर अंकित है। सरकार की ओर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मंडीबासा की सुनवाई की


29



प्रतिनिधि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	छाप और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की तिथि Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित छाप और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिनिधि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिनिधि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

- 4 -

गई। उन्होंने बताया कि दिनांक - 12-06-2007 को मधेपुरा जिला सुव्याय में जिला स्तरीय आपतित निराकरण कैम्प का आयोजन किया गया था किन्तु इस कैम्प में लिये गये निर्णय से संबंधित कोईवाही प्रस्तुत करने में उन्होंने असमर्थता जताई। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने यह भी स्फुट किया कि इस तरह के आपतित निराकरण कैम्प में आयोजन के संबंध में समाज कल्याण विभाग के स्तर से कोई विनिश्चय आदेश उपलब्ध नहीं है।



अतः उभय पक्षों सुने बाद में संलग्न सभी कागजातों के अन्वेषण के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि आवेदक शीर्षित अर्ज़ी के पत्र की कोई भी सुनवाई जिला पदाधिकारी के स्तर से नहीं की गई। जिला स्तरीय आपतित निराकरण कैम्प में शीर्षित सीता कुमारी द्वारा जो भी विवादात्त/परिवाद प्रस्तुत किया था उसकी पूर्ण जाँच की जानी चाहिए थी। हाल विभागत परियोजना पदाधिकारी की यह तथ्य जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था कि पंचायत में आम सभा का आयोजन कर जागतवाडी सीका का चयन किया गया है एवं कोई भी आपतित के निराकरण के पूर्व पूरे मामले की जाँच कर सभी प्रभावित पक्षों को सुने हुए अपना निर्णय देना चाहिए। विभाग के मार्गदर्शिका-2006 में सीका/सहायिका का चयन संबंधी अनधिकृतता पर कार्यवाई करने हेतु स्फुट प्राधान्य किया गया है। इस मार्गदर्शिका के कोडका 08 में ऐसे मामलों के निष्पादन हेतु विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। जिसका पूर्ण रूपेण अनुपालन प्रातंत्रिक मामले में नहीं हुआ है। जागतवाडी सीका/सहायिका का चयन आम सभा में ही किया जाना है। अतः उभय आम सभा किये

Amr

Amravar-4

31

नेवा में
 श्री मान निदेशक महोदय,
 समाज कल्याण विभाग आई० सी० डी० एच०
 निदेशालय, बिहार सरकार पटना
 विषय-आयुक्त कौशी प्रमोदल सदरहा द्वारा दिनांक
 7.8.10 के पारित आदेश का निरस्त करने
 के सम्बन्ध में,

महोदय, सावित्र निवेदन है कि मैं सीता कुमारी
 पनदही वासा केन्द्र सं-111 प्रखण्ड चौसा, जिला-
 मधेपुरा आंगनवाड़ी सेविका पद हेतु विधिवत
 लय से चयनित की गई थी।
 ग्रामीण राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी के द्वारा गलत
 ढंग से मेरी विरुद्ध तथ्य को गलत ढंग से
 गीड़-मलीर कर आयुक्त कौशी प्रमोदल सदरहा के
 समक्ष प्रस्तुत किया गया,
 तथा पुरवी एवं पडुंय के बदीलन नियम काउन्सिल
 के विरुद्ध दिनांक 16.6.2007 के पत्र को रद्द
 करने हुए आयुक्त महोदय द्वारा जिला पदाधिकारी
 को आदेश दिये कि वे समाज कल्याण विभाग की
 सेविका/सहायिका चयन सम्बन्धी मार्ग दर्शिका
 का अनुपालन करते हुए प्राथमिक मामले में विधि
 समत आदेश पारित करेंगे। तथा उक्त पद
 जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर
 अपना पद रखेंगे।

श्री मान का ह्मनाकृषित चादनी है कि
 मैं कुलौत पश्चिमी पंचायत में पनदही वासा
 आंगनवाड़ी सेविका हेतु उचित समय पर आवेदन
 दी थी परन्तु श्री प्रतिज्योती का चयन उक्त पद
 हेतु गलत ढंग से कर लिया गया, जब कि आंगन
 वाड़ी राजिस्टर आम सुभा पंजी प्रस्ताव संख्या-(2)
 से स्पष्ट होता है कि उक्त पोषक क्षेत्र पिछड़ी
 वर्ग का है तथा उक्त पोषक क्षेत्र पिछड़ी वर्ग

इसलिए नहीं पिछड़ी जाति के सबसे अधिक संकवाले आवेदक का चयन आम सभा द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

परन्तु पिछड़ी जाति के आवेदिका एकमात्र सीता कुमारी को चयन प्रक्रिया से वंचित करने के लिए उक्त आंगनवाड़ी सेविका हेतु अर्पण हेतु से चयन श्री को नामांकन पत्र पत्रदही वाला के नाम से निर्गत किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्र 100-17 का है जबकि वास्तव में पंचायत आंगनवाड़ी केन्द्र 100 111 है।

उक्त चयन श्री के खिलाफ जिला पदाधिकारी के समक्ष जिला स्तरीय आपति निराकरण कक्ष में आवेदन भेरे द्वारा दिया गया।

उक्त आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए बाला विकास पदाधिकारी चौला को जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया कि श्री मति सीता कुमारी

आवेदिका चयन उक्त आंगनवाड़ी सेविका पद हेतु करने का निर्देश दिया गया, ता पंचायत जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में बाल

विकास पदाधिकारी चौला दिनांक 16.6.2007 को पंचायत समित्व ग्राम पंचायत कुलौत पत्र

द्वारा उक्त पत्र को अनुपालन में पंचायत समित्व द्वारा नामांकन पत्र निर्गत किया गया,

ता पंचायत मुख्यालय में भेजा गया तथा प्रभिक्षण पत्र करने के बाद मुख्यालय चयन पत्र निर्गत किया गया, उसके बाद में लगातार

सेविका पद पर कार्य समाप्त करती आ रही है तथा मेरा कार्य संतोष पद एवं सराईतीय है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि चयन श्री को द्वारा स्वतः द्वारा ही

जाता जा रहा है जो कि वह समाप्त नहीं हुआ है।
आंगनवाड़ी सेविका पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था।

आयुक्त कोशी प्रमखल लदलसा द्वारा पारित
दिनांक 7.8.10 का आदेश सीमान के द्वारा
निरस्त कर दिया जाता चाहिए क्योंकि बाल
विकास परियोजना पदाधिकारी चौला मधुपुरा
के पत्रांक 193 दिनांक 3.8.10 के पत्र से
स्पष्ट होता है कि आयुक्त महोदय के समय
पुनर्वाची 10.8.10 को होगी।
इसलिए उक्त पंचायत सचिव से कहा गया
कि लखवियर लगी कागजान जैसे - आम
लगा पंजी, कारवाही पंजी, जमाखाना वदन पत्र, मंधा
सुप्री मंडिग पंजी, चयन पत्र, एव अन्य
कागजान मूलपत्रि में कायालय को दिनांक
5.8.10 तक जमा कर दे ताकि दिनांक 10.8.10
को आयुक्त कोशी प्रमखल लदलसा के चर्चा पुन
वाही में कागजान को प्रस्तुत किया जा सके,
उपरोक्त वस्तु स्थिति को देखते हुए सीमान से
निवेदन है कि मैं लगातार आंगनवाडी सेविका
पद पर कार्य करती आ रही हूँ तथा अब किसी
नौ सरकारी सेवा में जाने हेतु मेरा इम्तदा
है इस परिस्थिति में सीमान से प्राथाना
करती हूँ कि आयुक्त महोदय के आदेश
को दिनांक 7.8.10 आयुक्त कोशी प्रमखल
लदलसा के आदेश को निरस्त कर दिया जाय
परन्तु खेद कि वार है कि आयुक्त महोदय
द्वारा बिना पुनर्वाची की तिथि 10.8.10 को
देखते हुए जल्द बाजी में 7.8.10 को
देखते हुए जल्द बाजी में आदेश पारित कर
दिये जो नियम के अनुरूप है
तथा इसे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जय
सी कोलाज अवकाश वही से पडने के
लिए जल्द बाजी में उक्त आदेश पारित किया
गया था जो किथि विरुद्ध है
उक्त आयुक्त महोदय के दिनांक 7.8.10 के
आदेश के विरुद्ध सीमान के कायालय में कई
आवेदन दिये परन्तु नती मुझे पावती रसीद ही

दिखा गया, और न ही कोई कार्य वादी
इस की गयी

अतः श्री मान से कलवह प्रार्थना है
कि 7.8.10 आउट कोली प्रमदल लएला
इके आदेश को लवम कले इल मुने उन
उआगत वादी लेविका पद पल कार्य सम्पादन
इकले लेने का आशा प्रकृत करे,

- 1 गोद.
- 2 ललगत आदेश
- 3 7.8.10 की मीर
- 4 की (1) बालकिल
- 5 4 दालिका (1) का पालिका
- 6 का पालिका - 193 का
- 7 मीर लेल मीर

17 वेदिका - सीता कुमारी
 4 ति - शिवगुरु लाल
 पालिका - पुलात पादिका
 42915 - मीर
 केर - पतली वादी केर (10-11)
 अला - मवेरुली
 Date - 14/6/2013
 (सिकर)

KL FATMA GPO (800001)
 B RFO65184524IN
 Counter No:2-CP-Codes:CHT
 To:DIRECTOR, SOCIAL WELFARE
 Fatma Sectt. S.O, PIN:800015



M:30grams
 Amt:27.00 , 14/06/2013 , 14:37
 <Have a nice day>

30



<p>प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.</p>	<p>स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निर्दिष्ट तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.</p>	<p>अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.</p>	<p>तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.</p>	<p>आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.</p>

- 5 -

किस्ती के पक्ष में चयन हेतु पत्र निर्गत किया जाना विविधसम्मत नहीं है। जिला स्तरीय आपील निराकरण केम्प की कोई भी कार्यवाही प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह स्फट नहीं हो रहा है कि मामले की रिकॉर्ड से जांच हुई एवं जिला पदाधिकारी का क्या निर्णय भी प्राप्त हुआ। अतः उपरोक्त स्थिति में अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए वाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौसा के फॉर्म-113 दिनांक - 16.06.2007 को रद्द किया जाता है। जिला पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे समाज कल्याण विभाग की सेल / सहायिका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रासंगिक मामले में विविधसम्मत आदेशा पारित करेंगे। उभय पक्ष जिला पदाधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।



उपरोक्त सभी संबंधित को सूचित किया जाय।

355/2010
 25/8/2010
 ब्रजानंद प्रतिलिपि
 355/कुमार/2010
 25/8/2010
 क. शा. प्रमोद, सहारसा
 राज. अ. नियम 1 धन 1604
 25/8/2010

30/-
 आयुक्त,
 कोशी प्रमण्डल, सहारसा।